उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण (निरसन) विधेयक, 2025
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः वर्ष, 2025)

उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2020) को निरसित करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण (निरसन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति

2. (1) उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020 को (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2020) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई चालू या प्रवर्तनशील रहेगी मानो यह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

उद्देश्य और कारणों का कथन

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 398 में दिये गये उपबंध के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को निरसित किया जाना अपरिहार्य है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

इस विधेयक द्वारा "उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2020) को निरसित किया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक द्वारा ''उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2020) को निरसित किया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय अंतर्निहित नहीं है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

विधेयक का खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

इस विधेयक द्वारा ''उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2020) को निरसित किया जाना प्रस्तावित है।

1– विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ की व्यवस्था का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

2– विधेयक के खण्ड 2 में उक्त अधिनियम के निरसन एवं व्यावृत्ति का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

The Uttarakhand Witness Protection (Repeal) Bill, 2025

(Uttarakhand Bill No. : Year, 2025)

A

Bill

to repeal the Uttarakhand Witness Protection Act, 2020 (Uttarakhand Act No. 15 of 2020);

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Witness Protection (Repeal) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Repeal and Saving

2. (1) The Uttarakhand Witness Protection Act, 2020 (Uttarakhand Act No. 15 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been continued or enforced as if the repealing Act had not been passed.

Statement of Objects and Reasons

To implement the provision given in section 398 of the Bhartiya Nyay Sanhita, 2023, it is inevitable to repeal the Uttarakhand Witness Protection Act, 2020.

2- The proposed Bill fulfils the above objective.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

Memorandum of Delegation of Legislative Powers

'The Uttarakhand Witness Protection Act, 2020 (Uttarakhand Act No. 15 of 2020) is proposed to be repealed by this bill.

2- The proposed bill contains only general delegation of legislative powers.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

Financial Memorandum

'The Uttarakhand Witness Protection Act, 2020 (Uttarakhand Act No. 15 of 2020) is proposed to be repealed by this bill.

2- The proposed bill does not involve any kind of recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of the State.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

Memorandum of Clause-wise Details of the Bill

'The Uttarakhand Witness Protection Act, 2020 (Uttarakhand Act No. 15 of 2020) is proposed to be repealed by this bill.

1- In Clause 1, the provisions of short title and commencement are proposed.

2- In Clause 2, the provisions of the repeal and savings of the said Act are proposed.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.